

राजस्थान सरकार  
राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

क्रमांक: राम/प-2(13)रातस/बैच-29/2019/ 463

दिनांक: 17/1/20

-: आदेश :-

राजस्थान तहसीलदार सेवा विभागीय परीक्षा नियम 1960 के नियम 34 में राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.30(4)राज-डी/60 दिनांक 05.05.60 द्वारा विधि स्नातक प्रशिक्षु नायब तहसीलदारों को विभागीय परीक्षा में प्रदत्त छूट के तहत सीधी भर्ती बैच 29 के निम्नांकित प्रशिक्षु नायब तहसीलदार को विभागीय परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र (किमिनल एण्ड सिविल लॉ एण्ड प्रोसीजर) में एतद् द्वारा नियमानुसार छूट दी जाती है:-

क्र. सं.	नाम अभ्यर्थी
1	श्री हनुत सिंह रावत
2	श्री कैलाश मीणा
3	श्री दिनेश चन्द मीणा
4	सुश्री सुमन मोरदिया

आदेशानुसार



निबंधक

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

दिनांक: 17/1/20

क्रमांक: सम/ 463/ 463

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निदेशक, आर.आर.टी.आई. अजमेर।
- 2- उप-निबंधक (भू-अभिलेख) को शाखा के पूर्व आदेश दिनांक 06.01.2020 के क्रम में।
- 3- सम्बंधित..... प्रशिक्षु नायब तहसीलदार, आर.आर.टी.आई. अजमेर।
- 4- आदेश पंजिका।



निबंधक

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर